सं. 10/2/2013- समन्वय Vol. III
No. 10/2/2013-Coord.

भारत सरकार
Government of India
जल संसाधन , नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय
Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation

नई दिल्ली, दिनांक: सितम्बर 2014
New Delhi, Dated: September, 2014
30 SEP 2014

विषय : मंत्रालयों / विभागो द्वारा नोट बुक/ लेप टॉप आदि की खरीद दिशानिर्देशो में संसोधनों के संबध में ।

Subject:

निम्नलिखित कागजातों की प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु इसके साथ संलग्न किया जा रहा है :

A copy of following papers is enclosed herewith for information and guidance:

संख्या एवं तारीख No. & date	किससे प्राप्त हुई From whom received
का0जा0 सं0:8(25)/2012-ई II (ए) दिनॉक : 19 सितम्बर 2014 O.M. No: Dated :	व्यय विभाग , वित्त मत्रालय

(संजीत कुमार भगत)
(Sanjeet Kumar Bhagat)
अनुभाग अधिकारी (समन्वय)
Section Officer (Coord.)

सेवा में ,
To

1. Heads of all Organizations under the Ministry.
2. Finance Desk, MoWR,RD &GR, S.S. Bhawan, New Delhi.
3. US(GA), MOWR , RD &GR, S.S.Bhawan, New Delhi.
4. Guard file

फा.सं. 8 (25)/2012-ई.II (ए)
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 19 सितम्बर, 2014

कार्यालय ज्ञापन

विषय: मंत्रालयों/विभागों द्वारा नोट बुक/लेप-टॉप आदि की खरीद - दिशानिर्देशों में संशोधनों के संबंध में।

मंत्रालयों/विभागों द्वारा नोट बुक/लेप-टॉप कंप्यूटरों की खरीद तथा तत्संबंधी शक्तियों के प्रत्यायोजन के संबंध में इस मंत्रालय के 26 मई, 2009 और 14 मई, 2012 के कार्यालय ज्ञापन सं. 1(15)/E.II(A)/2009 का अधिक्रमण करते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि उप सचिव/समकक्ष और उससे ऊपर के स्तर के अधिकारियों को आधिकारिक कार्यों के निर्वहन के लिए लेप-टॉप; टेब्लेट; नोटपेड; अल्ट्रा-बुक; नोटबुक, नेटबुक अथवा इसी प्रकार के उपकरण जारी किए जा सकते हैं। संबंधित मंत्रालय/विभाग के सचिव द्वारा वित्त सलाहकार के परामर्श से इन शक्तियों का प्रयोग किया जाता रहेगा। प्रशासनिक सचिव को पात्र अधिकारियों को जारी किए जाने वाले गैजेट के स्वरूप के संबंध में निर्णय लेने का विशेषाधिकार होगा।

2. तथापि, यह निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा:-

i. स्टेंडर्ड सॉफ्टवेअर सहित उपकरण की लागत 70,000/- रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।

ii. जीएफआर/सीवीसी दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित खरीद प्रक्रिया का पालन किया जाए।

iii. अधिकारी जिसे उपकरण प्रदान किया जाता है, उस उपकरण की सुरक्षा एवं संरक्षा के लिए व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदार होगा और वह उपकरण सरकार की संपत्ति बना रहेगा। यदि वह उपकरण गुम हो जाता है, तो उस उपकरण के अंकित-मूल्य के आधार पर उसकी लागत उस अधिकारी से वसूल की जाएगी। संबंधित अधिकारी अपने व्यक्तिगत खर्च से उस उपकरण का बीमा करवाने के लिए स्वतंत्र होगा।

iv. पात्र अधिकारी को एक ही उपकरण जारी किया जाए। अधिकारी के पास चार वर्ष के बाद उस उपकरण की मूल लागत के 10% का भुगतान करके उस उपकरण को अपने पास रखने का विकल्प होगा।

v. अंकित-मूल्य की गणना करने के लिए घटती शेष राशि पर 15% प्रतिवर्ष के मूल्यह्रास की पद्धति अपनाई जाए।

vi. किसी मंत्रालय/विभाग में ऐसे किसी अधिकारी को, जिसे कोई उपकरण पहले ही आबंटित किया जा चुका है, चार वर्ष तक अथवा उस मंत्रालय/विभाग के एनआईसी द्वारा उक्त उपकरण की उपयुक्तता प्रमाणित किए जाने तक, जो भी बाद में हो, कोई नया उपकरण संस्वीकृत न किया जाए। अधिकारी के भारत सरकार के किसी अन्य मंत्रालय/विभाग में स्थानातरण पर वह, प्रशासनिक सचिव के अनुमोदन से उस उपकरण को अपनी नई तैनाती पर ले जाने के विकल्प का प्रयोग कर सकेगा। यदि पूर्वाधिकारी द्वारा उस मंत्रालय/विभाग से स्थानांतरण के पश्चात् उपकरण वापस कर दिया गया है, तो नए पदाधिकारी को कोई नया उपकरण तब तक जारी न किया जाए जब तक कि पुराने उपकरण की चार वर्ष की निर्धारित अवधि अथवा उसकी उपयोगिकता अवधि, जो भी बाद में हो, पूरी न हो गई हो।

vii. गैजेट का निपटान, ई-अपशिष्ट निपटान हेतु निर्धारित पर्यावरण मानकों के अनुसार किया जाए।

3. इसे सचिव (व्यय) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(अनिल शर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. सभी वित्त सलाहकार
3. एनआईसी, व्यय विभाग।